

मूल वाद में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)  
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

वकील मदन कुमार पुत्र मधवीर आदि बनाम मधवीर पुत्र रामदयाल जाति पार  
आदि निवासी हरद्वार उरावास आदि

दावा बाबत :- 88-89 RTA Act


मुकदमा नम्बर :- 167/21

निर्णय दिनांक :- 08.12.21

वादी की ओर से वकील बलीप सिंह सोरठ की व प्रतिवादी सं० — की ओर से वकील विन्ध्य सोरठ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुगाविठ राजीवामा रानी भौला चड 85DR के खारा म० 11/105 के मु० न० 68 के डिता न० 3, 4, 7 ता 9, 11 ता 25 मु० न० 69 के डिता न० 21 मु० न० 84 डिता न० 1, मु० न० 85 डिता न० 1 ता 5, 10, मु० न० 86 डिता न० 8/1, 9/1, 12 ता 14 पुत्र 7-323 है० मिसमें प्रतिवादी म० 1 मधवीर के नाम से 2-337 है० व चड 10 DR के खारा म० 45/47 के मु० न० 1 डिता न० 15 ता 17, 23 ता 25, मु० न० 2 डिता 3 ता 5, मु० न० 68 डिता न० 12, 19 ता 22 पुत्र 2-618 है० मिसमें प्रतिवादी म० 1 के नाम 33-3/4 डिता व चड 3 डीवीएन के खारा म० 55/49 के मु० न० 21 डिता न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 22 पुत्र 4-554 है० प्रतिवादी म० 1 के नाम 1-188 है० खारे दारी रजि है में प्रतिवादी मधवीर आ नाम उ हमजन डिपा जाडर वादीगण के ~~वादीगण~~ वदिमा वराण के खारे दार जरहकार घोषित भिपे जाते है प्रतिवादी म० 2 ने अपना हड डिता वारीगण के पत्र में बाण डर खुब डर लिपा है, इसलिए बाण डित डिता वर वंजीपन डुक डपन करने व हूपी भूमि बैड रदन है तो रदन मुक्ति के लिए उपरोक्त खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्या डिग्री आज दिनांक 08.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुंतला चौधरी)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़